

30.09.24

पत्रावली पेश हुई। न्यायालय समय
में वकील वादी एवं वादी के नाम
अलग-अलग समय में तीन बार
आवाजे लगाई। कोई हाजिर नहीं।
इससे स्पष्ट होता है कि वकील वादी
एवं वादी अपने वाद के प्रति गंभीर
नहीं हैं। लिहाजा वादी का वाद
अदम पैरवी एवं अदम हाजिरी में
खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार होकर
दाखिल दफतर हो। 30/09/24

सहायक कलेक्टर
(SDO), वाड़ौर

